राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 46/18

दायर दिनांक 24.05.2018

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

01. छीतर पुत्र लालू उर्फ लाला जाति कुम्हार निवासी मुनीजी की बगीची के पास लाल दरवाजा, रूपनगढ़ जिला अजमेर

बनाम

01. ओमप्रकाश पुत्र मंगला जाति कुम्हार निवासी खातियों का मोहल्ला, रूपनगढ़ जिला अजमेर
02. भागचन्द पुत्र मंगला जाति कुम्हार निवासी खातियों का मोहल्ला, रूपनगढ़ जिला अजमेर
03. सोहनी पुत्री मंगला जाति कुम्हार निवासी खातियों का मोहल्ला, रूपनगढ़ जिला अजमेर
04. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़

वाद –पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 08.07.2022

उपस्थित अधिवक्ता– श्याम मनोहर पुरोहित, सुरज सिंह चन्देल – वादीगण की तरफ से
अरविन्द कुमार दाधीच– प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 1272 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1273 रकबा 1–17 बीघा, ख0न0 1271 रकबा 07–15 बीघा, ख0न0 1274 रकबा 08 बिस्वा और ख0न0 1275 रकबा 1–16 बीघा वाकै ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला में अवस्थित है। वाद वर्णित कृषि आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या लगायत 03 वादी को उसके हिस्से की भूमि में काश्त करने में कम ज्यादा का विवाद पैदा करते है तथा लगान अदायगी में भी आना कानी करते है। वाद वर्णित कृषि आराजी में से वादी को स्वयं के हिस्से की भूमि काश्त करने में आये दिन बाधा पैदा करते है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा करते है, कम ज्यादा का विवाद पैदा करते है तथा लगान अदायगी में भी आना कानी करते है इस कारण वादी को स्वयं की हिस्से की भूमि का नींव, सींव सहित बंटवारा कराने, अलग से खाता कायम कराने एवं अलग से हिस्से अनुसार लगान निर्धारित कराने का अधिकार है। वादी स्वयं के हिस्से की 1/2 भूमि का नींव, सींव सहित बंटवारा कराने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 15.04.2018 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी को वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तथा निरन्तर वाद कारण जारी है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकील उपस्थित, उन्होंने प्राथमिक डिक्री जारी करने बाबत् सहमति जाहिर की। [illegible] डिक्री जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी। कमिश्नरी रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष पक्ष ने अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत सहमति जाहिर की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:05:03 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रांवली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस का श्रवण किया। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	छीतर पुत्र लालू उर्फ लाला जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार है0 सम्पूर्ण	1275/1 1271/1	0.1295 0.7967	चाही 1 चाही 1 0.2265, बंजर 1 0.5702
2	ओमप्रकाश पुत्र मंगला है0 7/16, भागचन्द पुत्र मंगला है0 7/16, सोहनी पुत्री मंगला है0 1/8 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1272 1273 1275/2 1271/2	0.0080 0.2093 0.1617 0.4572	चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1 0.2265, बंजर 1 0.5702
3	छीतर पुत्र लालू उर्फ लाला है0 1/2, ओमप्रकाश पुत्र मंगला है0 7/32, भागचन्द पुत्र मंगला है0 7/32, सोहनी पुत्री मंगला है0 1/16 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1274	0.0647	गै0 मु0 चाह

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा।
निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:05:03 IST
Reason: SelfAttested